email:enam@rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार

कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांकः–प.22/निकृवि/ई–नाम/एसएफएसी/2020/4720-21 दिनांकः 23-5-20

निदेशक,
लघू कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC),
5 तल एनसीयूआई, अगस्त क्रांती मार्ग,
हौज खास, नई दिल्ली–110016,
E-Mail- sfac@nic.in

विषयः– ई–नाम पोर्टल पर तकनीकी रूप से फीस कम्पोनेंट के अन्तर्गत मण्डी शुल्क के साथ कृषक कल्याण शुल्क की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– निदेशालय पत्र प.22/निकृवि/ई–नाम/एसएफएसी/2020/46/दिनांक 07.05.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के अनुसार राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की नई धारा 17 के अनुसार मण्डी समितियों द्वारा उदग्रणीय मण्डी शुल्क के अतिरिक्त कृषक कल्याण शुल्क लिये जाने का प्रावधान किया गया था। कृषि ग्रुप–2 की अधिसूचना दिनांक 22.05.2020 के अनुसार कृषि कल्याण शुल्क की दरों में निम्नानुसार संशोधन किये गये है।

1. ऊन पर कृषक कल्याण फीस की दर एस सौ रूपये पर शुन्य होगी।
2. ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा एवं ईसबगोल पर कृषक कल्याण फीस की दर सौ रूपये पर 0.50 रूपये (पचास पैसे मात्र) होगी।
3. फल एवं सब्जी शीर्षक में सम्मिलित समस्त कृषि जिन्सों पर कृषक कल्याण फीस की दर पूर्ववत एक सौ रूपये पर 2.00 रूपये(दो रूपये मात्र) होगी।
4. अनुसूची में बताई गई अन्य सभी कृषि उपज पर कृषक कल्याण फीस की दर एक सौ रूपये पर 1.00 रूपये (एक रूपये मात्र) होगी। (सूची संलग्न है)

अतः ई–नाम पोर्टल में तकनीकी रूप से समस्त 144 कृषि उपज मण्डी समितियों हेतु फीस कम्पोनेंट के अन्तर्गत मण्डी शुल्क के साथ–साथ कृषक कल्याण शुल्क की दरों में उपरोक्तानुसार संशोधित दरों को दर्ज कराये जाने का श्रम करावें।

संलग्न :– उक्तानुसार।

(ताराचन्द मीणा)
निदेशक
कृषि विपणन

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. राज्य समन्वयक राजस्थान, श्री रविचन्द्रा ई–नाम– नागार्जुना फर्टिलाईजेशन एण्ड कैमिकल लि0।

निदेशक
कृषि विपणन

C:\Users\Administrator\Desktop\enam tender updated\Letter.doc

अनुसूची

[देखिये धारा 2 (1) (i)]

1.	तन्तु	कपास
2.	धान	गेहूँ, जौ, बेजड, गौचना, गोजरा, ज्वार, मक्का, बाजरा धान्य (पेडी)
3.	फली वाले धान्य	मूंग, अरहर, उडद, चोला, बटला, चना, मोठ, गंवार, कुल्थी, मसूर
4.	तिलहन	तिल, सरसों, राई, तारा, अलसी, अरण्डी, सोयाबीन, सूर्यमूखी, रायला, मूँगफली
5.	फल	नींबू, माल्टा, संतरा, सीताफल, पपीता, अमरूद, आम, खरबूजा, तरबूज, अनार, सिंगाडा, केले, बेर, मौसमी, अंगूर, फालसा, खीरा, ककडी, सेव, शहतूत, खिरनी, चीकू, लीची, लोकाट, आंवला, खुरमानी, आडु, जामुन, कमलगट्टा, आलू-बुखारा
6.	सब्जियां	आलू, शकरकन्द, प्याज, टमाटर, कद्दू, फूलगोभी, बन्दगोभी, गाजर, बैंगन, मूली, हरी मिर्च, भिण्डी, हरा मटर, लहसुन, टिण्डा, लौंकी, अरबी, तोरई, करेला, हरी चौहलई, हरी हल्दी, करौंदा, कैरी, शलगम, चुकन्दर, परवल, जमीकन्द, कटहल, कमल ककडी, रतालू, अदरक
7.	पशुपालन उत्पादन	ऊन और घी, जूट (ऊँट व बकरी के बाल), बटर ऑयल
8.	मसाले	जीरा, धनिया, लाल मिर्च, मेथी, सौंफ, अजुवाइन, सौंठ, कलौंजी, लहसुन
9.	वन उपज	इमारती लकडी (हस्तशिल्प विनिर्मिण के लिये आयातित लकडी को छोडकर), लघु वन उपज (लघु वन उपज के अन्तर्गत पादप मूल के सभी गैर-इमारती वन उत्पाद है जिसमें बांस, झाड, झंखाड, ठूंठ, बैत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू, या केन्दू के पत्ते, औषधियो पोधे और जडी बूटिया, मूल, कद, रतनजोत, गौंद, फुहाड, सूखा आवला, महुआ फूल, बीज, (डोलमा), आवंला, सफेद मूसली, बहेडा, सूखा बेर, कन्जडी, कण्जी, हरडा, पलाश के फल, कैर, सांगरी, चारौली, गुन्दा, कत्था, लाल कांगडी, निम्बोहडी (नीम का बीज), सुगन्धित पौधे, कैथूडी
10.	विविध	पोस्त के दाने, पोस्त की डोडी, गुड, चीनी, खाण्ड, खाण्ड-सारी, इसबगोल, मेहन्दी, अश्वगंधा, फूल, फूलों की सूखी पत्तीयां, चायपत्ती, कॉफी, पिण्ड खजूर, सोनामुखी, ढैंचा, हरा नारियल (पानी वाला), पानमैथी, किनवा